5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

नि0 3768-I/16

न्यायालय मान0 राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3768/2015-16 निगरानी

नवाव सिंह पुत्र शिवदयाल यादव

ग्राम दबारा दिनारा तहसील करैरा

जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी

2- तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी ---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 113/2013-14 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 23-8-16 के विरूद्ध)

कृ0पृ0उ0--2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –निगरानी–3768–दो/2016 जिला–शिवपुरी

नवाव सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर व तहसीलदार करैरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
14–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री जी.पी. नायक अभिभाषक एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 113/2013–14/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 23–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 12–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 14/5/19 सदस्य	